



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/AMB/11593
/2021-2022

पत्रावली संख्या: F-44013 दिनांक: 2016-2017

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कप्तान सिंह मेमोरियल एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, ग्राम भगोला, पोस्ट सोनावा, तहसील भीटी, जिला अम्बेडकरनगर, 3090, अम्बेडकर नगर, 224157 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1157/2016-2017 दिनांक-18/11/2016 को दिनांक-18/11/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)

6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66

Date: 22/11/2021 5:03:00 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-22/11/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।


PRINCIAPL
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambekar Nagar


MANAGER
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambekar Nagar

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

50AD 151096



कप्तान सिंह मेमोरियल

एजुकेशनल इंस्टीट्यूट

अम्बेडकर नगर

संशोधित - कप्तान - १५

पृष्ठ 440/3

PRINCIPL

KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar

MANAGER

KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambedkar Nagar

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : कप्तान सिंह मेमोरियल एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
2. संस्था का पता : ग्रा0-भगौला, पो0-सोनावा, तह0-भीटी,
जिला अम्बेडकरनगर (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य :

1. जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना।
2. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालय, बालक/बालिकाओं विद्यालयों, विकलांग विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों/कालेजों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा निःशुल्क व्यवस्था करना।
3. ज्ञान वर्धन हितार्थ पुस्तकालय एवं वाचनालय की निःशुल्क व्यवस्था करना, तथा हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत भाषा तथा भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रचार-प्रसार तथा हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
4. गरीब एवं असहाय बच्चों, महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाइनिंग एवं शिल्पकला, काष्ठकला, दरी-कालीन, टंकण, आशुलिपिक, कम्प्यूटर एवं ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
5. केन्द्रीय विद्यालय (C.B.S.E. & N.C.E.R.T.) की मान्यता लेना एवं विद्यालयों की स्थापना करना एवं संचालन करना।
6. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, मुशायरा, कवि सम्मेलन, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, सामाजिक जागरूकता, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।
कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा प्रदर्शनी शिक्षा केन्द्रों, इन्स्टीट्यूट की स्थापना व शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं शिक्षा के प्रति पूर्ण रुझान, लगन और उत्साह पैदाकर साक्षरता अभियान, "स्कूल चले हम" जैसे सरकारी अभियानों को सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना।
8. समाज के मूक बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों, तथा निराश्रितों बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना तथा वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम की स्थापना कर उनका निःशुल्क संचालन करना।
9. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना एवं राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव शिविरों का आयोजन करना तथा सभी धर्म के लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्व बन्धुत्व की भावना जागृत करना।

शेष पृष्ठ (२) पर

10. साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार एवं उपभोक्ता कल्याणार्थ सम्बन्धित विभाग एवं पर्यावरण संस्थान व जनकल्याण के क्षेत्र में मिलजुलकर कार्य करना। तकनीकी प्रशिक्षण एवं आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यदायी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करना एवं संचालन करना।
11. शिक्षा के उन्नयन हेतु नवीनतम तकनीक, प्राविधिक, औद्योगिक शिक्षा, ग्रामोद्योगिक शिक्षा एवं आयुष शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, बी०एड०/बी०पी०एड०/बी०टी०सी० प्रशिक्षण, आई०टी०आई०, पॉलीटेक्निक आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
12. कृषि विकास हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों, उर्वरक, बीज, सिंचाई के साधन तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य जानकारी कृषकों को दिलाना एवं विभाग/कृषि विभाग उ०प्र० द्वारा संचालित कार्यक्रमों को संचालित करना जैविक खाद के प्रचार प्रसार के माध्यम से कृषकों को कृषि उत्पादन हेतु जागरूक करना तथा कृषि/कृषक सेवा केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
13. समाज कल्याण विभाग उ०प्र० केन्द्रीय एवं राज्य कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, अवार्ड, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिपसा, सैफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफेम इंडिया, कैयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग, उ०प्र० एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड, सीमैप द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं, विकलांग कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
14. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी सशक्तीकरण, बालिका सशक्तीकरण, जनसंख्या नियन्त्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी पर्यटन शिक्षा, पर्यटन विकास, कृषि विविधीकरण, हरियाली कार्यक्रम, गौ संरक्षण, गौ पालन, भूमि एवं जल प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, पशु-पक्षी (जीव-जन्तु) संरक्षण आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
15. प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रानिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाइप-शार्ट हैण्ड शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा निःशुल्क दिलाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।
16. एड्स, कैन्सर, पोलियो, टी०बी०, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को सचेत करना।
17. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेय जल एवं जल व भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना तथा ग्रामीण अंचलों आदि को निःशुल्क सहायता प्रदान करना।
18. समाज के मेधावी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा पुष्ठाहार, मिड डे मिल एवं शैक्षिक परिभ्रमण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
19. ट्राइसेम योजना/एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओं एवं बेरोजगारों को निःशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का निःशुल्क आयोजन करना।

शेष पृष्ठ (३) पर

20. नयी युवा प्रतिभाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा नेहरू युवा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे युवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
21. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ०प्र० अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कमीशन/जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगों, कुटीर उद्योगों, रेशम उद्योग की स्थापना व प्रचार-प्रसार करना।
22. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त कार्यों में कार्यदायी संस्था के रूप में सहभागिता करना। तथा उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए देशी विदेशी संस्थाओं से दान अनुदान प्राप्त करके जनहित में कार्य करना।
23. पर्यावरण को हानि पहुँचाने वाले उद्योगों से उत्पन्न प्रदूषण व उससे होने वाले बीमारियों के बचाव की जनजागृति पैदा करना, रेशम उद्योगों शहतूत वृक्षारोपण तथा शहतूत की विभिन्न योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार करना तथा हरे वृक्ष काटने वाले के विरुद्ध सामाजिक जनचेतना जागृति करना।
24. आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उत्पादन करना, शोध करना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व औषधि एवं सुगन्ध पौधों की खेती कर चैरीटेबुल कार्यों में व्यय करना।
25. वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के माध्यम से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव गैस का प्रचार-प्रसार करना करना।
26. बालवाड़ी तथा आँगनवाड़ी कार्यक्रम एवं ट्राइसम योजना के द्वारा महिला विकास तथा शिशु विकास करके समाज को आगे बढ़ाना एवं बाल विकास, महिला कल्याण तथा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण व स्वास्थ्य शिविरों का निःशुल्क आयोजन करना।
27. दैवी आपदाओं में जैसे-बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, तूफान, आदि में राहत कार्य करना एवं पीड़ित व्यक्ति की हर सम्भव सहायता करना।
28. सामज में जीजल से आत्म निर्भर बनाने हेतु बांयोडीजल प्लान्ट (जेट्रोफा) की खेती के बारे में एवं भारत सरकार की योजना को संचालित करना तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का संचालन करना।
29. बाल तथा बंधुवा मजदूरी पर रोक लगाने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करना तथा भारतीय ग्रामो के बालक/बालिकाओं, श्रमिकों एवं राजगीरों के उत्थान के लिए ग्रामोद्योग एवं हस्तकला तकनीकी शिक्षण की व्यवस्था करना।
30. समाज में व्याप्त दहेज अंधविश्वास दहेज उत्पीड़न, मद्य निषेध, बाल विवाह आदि की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करना।
31. संस्था द्वारा चिन्हित ग्रामो को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना। सरकार द्वारा संचालित सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण योजना, अम्बेडकर ग्राम सुधार योजना आदि योजनाओं में सहयोग करना।
32. ग्रामीण एवं मलिन बस्तियों के विकास हेतु शासन एवं प्रशासन की मदद से उचित पानी निकासी, शौचालय, हैडपम्प स्वच्छ पेयजल योजना आई०डब्ल्यू०डी०पी०, वाटर सेट की डी०पी०ई०पी० मार्ग आदि परियोजनाओं को नियमानुसार लिखित अनुमति लेकर संचालित करना।

शेष पृष्ठ (४)-पर

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते व पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

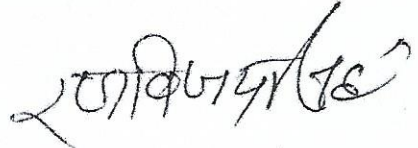
क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री बृज किशोर सिंह पुत्र स्व० श्री मेढई सिंह	ग्रा० व पो० खेमापुर, जिला अम्बेडकरनगर	प्रबन्धक	सेवानिवृत्त
2.	श्री रणविजय सिंह पुत्र स्व० श्री मेढई सिंह	ग्रा० व पो० खेमापुर, जिला अम्बेडकरनगर	अध्यक्ष	नौकरी
3.	श्री राम देव सिंह पुत्र स्व० श्री राम नरेश सिंह	ग्रा० लोहटी सरैया, पो० अमराई गांव, जिला फैजाबाद	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत्त
4.	श्रीमती निशा सिंह पत्नी श्री रणजीत सिंह	दीन दयाल नगर, देवकाली बाईपास, जिला फैजाबाद	मंत्री	गृहिणी
5.	श्री पवन कुमार सिंह पुत्र श्री समर बहादुर सिंह	ग्रा० व पो० अधियारी, जिला फैजाबाद	उपमंत्री	व्यापार
6.	श्री विवेक प्रताप सिंह पुत्र श्री अवधेश कुमार सिंह	ग्रा० विनायकपुर, पो० अमानीगंज, जिला फैजाबाद	कोषाध्यक्ष	अध्यापन
7.	श्री सत्यजीत सिंह पुत्र श्री बृज किशोर सिंह	दीन दयाल नगर, देवकाली बाईपास, जिला फैजाबाद	सदस्य	अध्यापन
8.	श्रीमती नीता सिंह पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह	ग्रा० व पो० खेमापुर, जिला अम्बेडकरनगर	सदस्य	गृहिणी
9.	श्रीमती शीला सिंह पत्नी श्री विनय प्रताप सिंह	ग्रा० लोहटी सरैया, पो० अमराई गांव, जिला फैजाबाद	सदस्य	गृहिणी

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र तथा सलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 सन् 1860 के अर्न्तगत समिति को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं।
(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :

हस्ताक्षर





नीता सिंह

शीला सिंह

निशा सिंह

विवेक प्रताप सिंह

पवन कुमार सिंह

सत्यजीत सिंह

राम देव सिंह

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : कप्तान सिंह मेमोरियल एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
2. संस्था का पता : ग्रा0-भगौला, पो0-सोनावा, तह0-भीटी,
जिला अम्बेडकरनगर (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता अथवा सदस्यों के वर्ग :-
 आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रूपया 1,001/- नगद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
 सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रूपया 101/- वार्षिक चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।
5. सदस्यता की समाप्ति : सदस्यता की समाप्ति के आधार निम्नवत होंगे :-

1. मृत्यु हो जाने पर।
 2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
 3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
 4. न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
 5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क अदा न करने पर।
 6. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
 7. त्याग-पत्र या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
- साधारण सभा
(2) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा :-
 गठन : सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।
 बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।
 सूचना अवधि : साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित एजेण्डे से दिया जायेगा।
 गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों की संख्या में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों की अनुमति से तय की जायेगी।

- साधारण सभा के कर्तव्य :
1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
 2. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

शेष पृष्ठ (2) पर

3. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
4. नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन साधारण सभा द्वारा 2/3 सदस्यों की बहुमत से किया जायेगा।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :-

- गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा। जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक, मंत्री एक, उपमंत्री एक, कोषाध्यक्ष एक तथा 03 सदस्य होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 09 होगी।
- बैठकें : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में तीन बार और विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सूचना देकर बुलायी जा सकती है।
- सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित ऐजेण्डे से दी जायेगी।
- गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :-

1. संस्था के उन्नति एवं प्रगति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक बजट कार्य योजना तैयार करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्थानीय निकायों, दानशील व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों, समाज कल्याण विभाग उ०प्र०, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिफसा, सैफ इण्डिया, हल्पेज इण्डिया, आपसफेम इण्डिया, सूडा, डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, केयर, वन मंत्रालय, पशुधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय उ०प्र०, केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक विभाग/बोर्ड उ०प्र०, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, राजीव फाउण्डेशन, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, विकलांग कल्याण संस्थाओं, सांसद निधि, विधायक निधि तथा अन्य स्रोतों से ऋण, दान अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
5. संस्था की शाखाओं एवं उपसमितियों का गठन करना तथा उन पर नियंत्रण रखना।
6. संस्था के लिए चल अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्राप्त करना, क्रय करना और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करना।
7. प्रबन्धकारिणी समिति में किसी कारणवश प्रबन्धक का पद रिक्त हो जाने की स्थिति में प्रबन्धक के ही परिवार के किसी सुयोग्य व्यक्ति को साधारण सभा के बहुमत द्वारा चयनित किया जायेगा।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-

- प्रबन्धक :
1. समिति का कार्य मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
 2. कर्मचारियों के विशेष अवकाशों की स्वीकृति करना तथा सन्दर्भ नियुक्ति करना।
 3. कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन वृद्धि, निलम्बन, निष्कासन तथा नियुक्ति करना।
 4. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना तथा अभिलेखों एवं पत्र को सुरक्षित रखना।

शेष पृष्ठ (३) पर

MANAGER
KAPTAN SINGH MEMORIAL
EDUCATIONAL INSTITUTE
Bhagola-Ambekar Nagar

कप्तान सिंह मेमोरियल एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
ग्रा0 भगोला, पो0 सोनावा, तह0 भीटी, जिला अम्बेडकरनगर

प्रबन्धसमिति की सूची

वर्ष 2023-2024

क्र.सं.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री सत्यजीत सिंह पुत्र श्री बृज किशोर सिंह	ग्रा0 व पो0 खेमापुर, जिला अम्बेडकरनगर	प्रबन्धक	अध्यापन
2.	श्री रणविजय सिंह पुत्र स्व0 श्री मेढ़ई सिंह	ग्रा0 व पो0 खेमापुर, जिला अम्बेडकरनगर	अध्यक्ष	नौकरी
3.	श्री राम देव सिंह पुत्र स्व0 श्री राम नरेश सिंह	ग्रा0 लोहटी सरैया, पो0 अमराई गांव, जिला अयोध्या	उपाध्यक्ष	सेवानिवृत्त
4.	श्रीमती निशा सिंह पत्नी श्री रणजीत सिंह	दीन दयाल नगर, देवकाली बाईपास, जिला अयोध्या	मंत्री	गृहिणी
5.	श्री पवन कुमार सिंह पुत्र श्री समर बहादुर सिंह	ग्रा0 व पो0 अधियारी, जिला अयोध्या	उपमंत्री	व्यापार
6.	श्री विवेक प्रताप सिंह पुत्र श्री अवधेश कुमार सिंह	ग्रा0 विनायकपुर, पो0 अमानीगंज, जिला अयोध्या	कोषाध्यक्ष	अध्यापन
7.	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री बृजकिशोर सिंह	दीनदयाल नगर, भीखापुर, जिला अयोध्या	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती नीता सिंह पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह	ग्रा0 व पो0 खेमापुर, जिला अम्बेडकरनगर	सदस्य	गृहिणी
9.	श्रीमती शीला सिंह पत्नी श्री विनय प्रताप सिंह	ग्रा0 लोहटी सरैया, पो0 अमराई गांव, जिला अयोध्या	सदस्य	गृहिणी

२०२३/२४

निशा सिंह

नीता सिंह

२०२३/२४

रणविजय सिंह